संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, प्रथम–तल, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/स्था./टीसीएस/भृत्य/2022/3029 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22/07/2022

// सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि – दिनांक 16/08/2022 शाम 05:30 बजे तक आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकृत किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक 1041/94/2021/स्था./चार, दिनांक 09.11.2021 के अनुक्रम में संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, नवा रायपुर अटल नगर (ऑडिट प्रकोष्ठ सहित) में भृत्य 04 पद (नियमित पद) के भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

(1) रिक्त पद का विवरण –

स. क्र.	श्रेणी	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	निःशक्तजन	योग
1	अनारक्षित	02	–	–	–	02
2	अनुसूचित जनजाति	01	–	–	–	01
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	–	–	01
	योग	04			–	04

टीप :– पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(2) भर्ती की पात्रता एवं शर्तें –

- **वेतनमान** – छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल –1 (15600–49400)
- **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** –
  1. छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पांचवी उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
  2. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तो को पूरा करते है, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन प्रेषित करें।

(3) आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते –

1. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन

जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य है। उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध मे सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा ।

2. ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नही होगी ।
3. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

नोट :– आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

टीप–उपरोक्त बिन्दुओं में आयु संबंधित छूट अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटो का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी।

अन्य शर्ते :–

1. चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 22/2020 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा । वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि पर उन्हे निम्नानुसार स्टाईपेन्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष	– पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	– पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

2. चयनित अभ्यथियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दांडिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।
3. आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो पात्र होगा।
4. कोई भी अभ्यर्थी के विरूध्द किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
5. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित/वैध होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज मान्य नहीं किए जायेंगें।
6. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत है उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) आवेदन सबंधी जानकारी– निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र समस्त वाछिंत प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से संचालक, संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, ब्लाक ए, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ पिन–492002 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों तथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

4.1 आवेदन पत्र की उपलब्धता – वेबसाईट– https://ekoshonline.cg.nic.in/

4.2 विज्ञापन जारी दिनांक – 22/07/2022

4.3 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि – 16/08/2022

4.4 डाक की गड़बड़ी के लिये विभाग की जवाबदारी नहीं होगी। निजी कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

4.5 लिफाफे के ऊपर भृत्य पद के लिये आवेदन पत्र अवश्य लिखे।

आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षिणक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर) इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(5). चयन प्रक्रिया :–

1. शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5 वीं के प्राप्तांक को 100 प्रतिशत भारांश अंक प्रदान करते हुए वरीयता सूची तैयार किया जावेगा।
2. किसी आवेदक के 5 वीं की अंकसूची प्रतिशत के स्थान पर सिर्फ ग्रेड अंकित है तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा।

   उदाहरण – किसी आवेदक को 5 वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक हो तो उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

   इस प्रकार ग्रेड का प्रतिशत निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकेगा –

   (अ) ए + ग्रेड के लिए 90 से 100 प्रतिशत मानकर 95 प्रतिशत दिया जावेगा।

   (ब) ए ग्रेड के लिए 80 से 90 प्रतिशत मानकर 85 प्रतिशत दिया जावेगा।

   (स) बी + ग्रेड के लिए 70 से 80 प्रतिशत मानकर 75 प्रतिशत दिया जावेगा।

   (द) बी ग्रेड के लिए 60 से 70 प्रतिशत मानकर 65 प्रतिशत दिया जावेगा।
3. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता देते हुए चयन समिति द्वारा वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
4. अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो की पूर्ति हो रही है। चयन समिति द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
6. आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।

7. आवेदित पद के लिये वांछित योग्यता रखने वाले आवेदक ही आवेदन करें, अस्पष्ट, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगें और इसके संबंध में कोई पत्राचार नही किया जावेगा ।
8. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर में दायर याचिकाओं क्रमांक 591/ 2012 रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012 रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/ 2012 रिट पिटीशन (सी) तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/ 2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा ।

–: महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।
2. चयनित अभ्यर्थियों को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा । आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा मे नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
3. चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा पर संचालक का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।
4. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये निरस्त की जा सकेगी ।
5. प्राप्त आवेदन पत्रों की कुट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदको की सूची का प्रकाशन संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यालयीन वेबसाईट– https://ekoshonline.cg.nic.in/ की सूचना पटल पर प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के वेबसाईट https://ekoshonline.cg.nic.in/ की सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी ।

संचालक
संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन

पृ. क्रमांक / स्था. / टीसीएस / भृत्य / 2022 / 3630 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22/07 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला रोजगार अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

संचालक

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन

भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

प्रति,

संचालक,
संचालनालय, कोष,लेखा एवं पेंशन,
इन्द्रावती भवन, ब्लाक–ए, प्रथम तल,
छत्तीसगढ, नवा रायपुर अटल नगर।
पिन – 492002

1.	आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)	
	आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)	
2.	लिंग (पुरूष/महिला)	
3.	पिता/पति का पूरा नाम (हिन्दी में)	
4.	पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में)	
	स्थाई पता (हिन्दी में)	
5.	जन्म तिथि (अकों में)	
	जन्म तिथि (शब्दों में)	
6.	दिनांक 01.01.2022 को आयु	.............वर्ष .... माह ....दिन
7.	क्या आवेदक छत्तीसगढ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें	
8.	क्या आवेदक छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/ नहीं (यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की	

9.	क्या आयु सीमा में छूट चाहते है, हॉ/नहीं (यदि चाहते है तो छूट का आधार प्रमाण पत्र संलग्न करे)	
10.	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
11.	रोजगार कार्यालय का नाम	

12. शैक्षणिक अर्हता का विवरण :...

क.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्रतिशत्	श्रेणी	बोर्ड/संस्था का नाम
1						
2						

(शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रमाण–पत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)

13.	क्या आवेदक शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्था में सेवारत है, सेवारत होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
	सेवारत कार्यालय/संस्था का नाम एवं पता	
14.	क्या आवेदक को किसी दांडिक प्रकरण में दोष सिध्द ठहराया गया है अथवा दांडिक प्रकरण दर्ज हुआ हो तो प्रकरण की स्थिति के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें।	
15.	संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है)	1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 ....

स्थान
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

घोषणा –पत्र

मैं ....एतद् द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मैनें विज्ञापन में दिये पात्रता शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है । प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी अनुसार सत्य एवं सही है, तथा आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/अपूर्ण पाई जाती है अथवा यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त करते हुए मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जावेंगे ।

स्थान :–

दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

पूर्ण नाम ....

एवं पता ....

....

....